

**फार्म**  
**अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष-2013**

(35)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण :

31-12-2013 की स्थिति में

- |                                   |                                  |                           |   |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम | <u>हरगोविन्द गुजर</u>            | 3. कार्यालय का पूरा नाम : | <u>अधीनस्थ यंत्री (परीक्षण एवं स्टाफ) मण्डल पाठ शां. कें. वि. भोपाल</u> |
| 2. वर्तमान धारित पद :             | <u>अतिरिक्त कार्यालय सहायक-2</u> | 4. वर्तमान वेतन :         | <u>17940 + 3800 ग्रेड 5</u>   |
| 5. वर्तमान निधि क्रमांक :         | <u>88610521</u>                  | 6. कर्मचारी संख्या :      | <u>88610521</u>   |

क्र.	उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी के साथ क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया:- खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
SE (T&C) BHOPAL	2	3	4	5	6	7	8	9
EE-III, AO STENO OA.I OA. II OA. III CASHIER No..... Date..... SE (T&C) BPL	होशंगावाड़ा	भवन प्लॉट नं. 28 इब्रान परिसर मैस-33 अडि. रो. अडि. रोड. होशंगावाड़ा	निर्देक	लगभग 22 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं की अचल एवं बैंक से प्राप्त प्राप्त कर थी प्रकाश चन्द्र महोशिया बिज्जरी कुम्पाउंड होशंगावाड़ा से प्लॉट के रूप में क्रय कर भवन निर्माण करवाया	निर्देक	लाशु नदी

हस्ताक्षर : [Signature]  
नाम : हरगोविन्द गुजर / स्व. श्री श्रीराम गुजर  
पद : अतिरिक्त कार्यालय सहायक-2

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।
- \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
- \*\*\* इसमें उल्लेखित पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी :-** मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।